सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
कार्तिक 4, सोमवार, शाके 1942–अक्टूबर 26, 2020 *Kartika 4, Monday, Saka 1942–October 26, 2020*	

भाग 5 (घ)

औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये निर्णय।

श्रम विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 12, 2020

संख्या एफ.14(1)(1)श्रम/रोडवेज/लोकोपयोगी/विधि/1985 :-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-14) की धारा- 2 एन (vi) के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार इससे सन्तुष्ट होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना अपेक्षित है, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ **"ट्रांसपोर्ट (अदर देन रेल्वेज) फार दी कैरिज ऑफ पैसेन्जर्स एण्ड गुडस बाई रोड"** के कार्यो को दिनांक 21.10.2020 से 6 माह की अवधि के लिये लोकोपयोगी सेवा घोषित करती है।

राज्यपाल के आदेश से,
पतंजलि भू,
अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव
राजस्थान, जयपुर

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।